

अचल सम्पति अन्तरण दस्तावेज (तबदील मलकियत) (पारिवारिक रिश्ता)

हरियाणा सरकार, राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग के आदेश दिनांक 16, जून 2014 के अनुसार स्टाम्प शुल्क से छुट है ।

का/की हूं। जो कि एक प्लाट/मकान नं०रकबा वर्ग गज जिसकी सीमा व पैमाईश निम्न प्रकार से है:-

पूर्व:- फुट..... इंच..... पश्चिम:- फुट..... इंच.....

उत्तर:- फुट..... इंच..... दक्षिण:- फुट..... इंच.....

स्थित.....खेवट नम्बर----- खतौनी नम्बर----- मुसत्तील नम्बर----- किला नम्बर-----

रकबा कुल भूमि----- कनाल----- मरले का----- भाग रकबा कनाल----- मरले

का----- वाका ----- तहसील ----- जिला-----मेरी अपनी/हमारी इन्तकाल

नं०----- व जमाबन्दी वर्ष -----अनुसार कालौनी..... अन्दरून नगर

पालिका/नगर निगम मेरी/हमारी अपनी मलकियत है ।

जिसका कवर्ड एरिया..... वर्गफुट है । जो हर प्रकार के भार से पाक व साफ है । जिस पर

मैंने कोई भी कर्ज सरकारी अर्ध सरकारी या गैर सरकारी बैंक या संस्था किसी व्यक्ति/ व्यक्तियों से नहीं

लिया हुआ है भार मुक्त है । यह है कि श्री/श्रीमती

..... मेरे पारिवारिक रिश्ते मे.....

..... लगते है । उपरोक्त लिखित प्लाट/मकान तमाम मालकाना अधिकारों सहित जो

मुझे उक्त प्लाट/मकान प्राप्त है को उपरोक्त वर्णित श्री/श्रीमती

..... को अंतरण (तबदील) करना चाहते/चाहती हूं । उपरोक्त वर्णित प्लाट/मकान का अंतरण

(तबदील) का मुझे पूर्ण अधिकार प्राप्त है । अतः मैं अपने होशो हवास खुद रजामन्दी बिना किसी के सिखाये

बहकाये उपरोक्त प्लाट/मकान में मुझे/हमें बतौर मालिक हक हासिल है, के सभी अधिकार बिना प्रतिफल

के बिना कोई धन राशि अर्जित किये अपने सभी मालिकान हक उपरोक्त वर्णित प्लाट/मकान को

श्री/श्रीमती

..... को अंतरण (तबदील) कर दिया है । आज के बाद अंतरण शुदा प्लाट/मकान से मेरा या मेरे किसी भी

उतराधिकारी का कोई ताल्लूक वास्ता नहीं रहा है । अंतरण (तबदील) शुदा प्लाट/मकान किसी प्रकार का

कोई नुक्स या हर्ज पाया जावे या किसी कानूनी या वाक्याति त्रुटि के कारण अंतरण प्राप्तकर्ता के स्वामित्व

से निकल जावे तो उसका मैं/हम स्वयं जिम्मेवार हुंगा/होगें । इस प्रकार अंतरण ग्रहणकर्ता प्लाट/मकान

उपरोक्त लिखित का पूर्ण रूप से मालिक व स्वामी हो गया है । जिसे वह किसी भी प्रकार से चाहे

इस्तेमाल कर सकेगा । उसे आगे अंतरण (तबदील) करने का भी उसे पूर्ण अधिकार हासिल होगा । कब्जा

मौका पर अंतरण प्राप्तकर्ता का मालकाना असल करा दिया है । रिकार्ड माल मे अंतरण शुदा प्लाट/मकान

ग्रहणकर्ता के नाम तबदील किये जाने मे मुझे/हमें कोई भी आपत्ति नहीं होगी । अतः यह अंतरण लेख

(तबदील मलकियत) प्लाट/मकान नियमानुसार निष्पादित कर दिया है ताकि प्रमाण रहे । जिस पर

मैंने/हमने पढ़ कर/सुनकर व समझ कर हस्ताक्षर/अंगुठा किये है । आज

दिनांक

अंतरण कर्ता

प्राप्तकर्ता

गवाह

गवाह